

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश  
Email ID : specialcelldpi@gmail.com

क्र./यू.सी.आर./सी/44 (2)/नियोजन/2019-22/ 978  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 19/05/2022

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (समस्त),  
मध्यप्रदेश।

विषय :- दिनांक 15.03.2022 अथवा इसके पश्चात् नव नियुक्त उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक द्वारा एक ही सत्र में दो डिग्री धारित एवं पात्रताधारित को पदस्थापना शाला में कार्यभार ग्रहण कराये जाने के संबंध में।

:: 00 ::

विषयान्तर्गत लेख है कि मार्च एवं अप्रैल 2022 में उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति आदेश जारी किये गये है। यह संज्ञान में आया है कि कतिपय जिलों द्वारा नियुक्त अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के परीक्षण पश्चात् एक सत्र में दो डिग्री अर्जित होने के आधार पर पदभार ग्रहण करने से रोका गया था। ऐसे प्रकरणों के निराकरण हेतु निर्देशित किया जाता है कि इस कार्यालय के परिपत्र क्र./यू.सी.आर./सी/134/नियो./2022/777-778, दिनांक 19.04.2022 के अनुसार प्रकरणों का पुनः परीक्षण कर पात्र पाये जाने पर जारी नियुक्ति आदेश के अनुक्रम में पदस्थापना वाली शाला में ग्रीष्मावकाश के उपरान्त दिनांक 10.06.2022 से 15.06.2022 के मध्य कार्यभार ग्रहण कराया जाना सुनिश्चित करायें। यदि अभ्यर्थी उल्लेखित परिपत्र अनुसार पात्रता धारित नहीं करते हैं, तो संचालनालय को पूर्ण वस्तुस्थिति से तत्काल अवगत करायें।

सदर - रू

*Munshi*  
(अभय वर्मा)  
आयुक्त

पृष्ठां क्र./यू.सी.आर./सी/44 (2)/नियोजन/2019-22/ 979  
प्रतिलिपि :-

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश  
भोपाल, दिनांक 19/05/2022

1. विशेष सहायक, माननीय राज्यमंत्री (स्कूल शिक्षा), मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।

*Munshi*  
आयुक्त  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश  
गौतम नगर चेतक ब्रिज के पास भोपाल-462023


क्र./यू.सी.आर./सी/134/नियो./2022/ 777

भोपाल, दिनांक 19.04.2022

:: आदेश ::

शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के परिणाम के आधार पर उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक की प्रचलित भर्ती अन्तर्गत प्रावधिक रूप से चयनित/प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन में अमान्य किये गये प्रकरणों के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदनों के क्रम में समिति गठित की गई थी। समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 31.03.2022 में एक साथ दो डिग्री अर्जित करने के संबंध में की गई अनुशंसाओं पर प्राप्त प्रशासकीय अनुमोदन के अनुक्रम में उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक नियोजन अन्तर्गत संचालनालय द्वारा एक सत्र में दो उपाधि के संबंध में पूर्व में जारी समस्त निर्देशों को अधिक्रमित करते हुये निम्नानुसार प्रकरण मान्य किये जाते हैं :-

1. एक डिग्री स्वाध्यायी/पत्राचार/दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से तथा दूसरी डिग्री नियमित होने की स्थिति में अभ्यर्थिता मान्य की जाएगी।
2. दोनों डिग्री स्वाध्यायी/पत्राचार/दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से होने की स्थिति में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता मान्य की जाएगी।
3. परीक्षा में एटीकेटी के कारण एक सत्र में दो नियमित डिग्रीयों अर्जित होना परिलक्षित हो रहा है किन्तु ऐसी स्थिति, एटीकेटी की अंकसूची में अंकित सत्र/वर्ष के कारण हो रही है, तो ऐसे प्रकरणों में भी अभ्यर्थिता मान्य होगी।
4. विश्वविद्यालयों के द्वारा सत्र विलम्ब से सम्पन्न होने/सत्र शून्य घोषित होने के कारण परीक्षा विलम्ब से सम्पन्न होने की स्थिति में दो नियमित डिग्री के एक ही वर्ष में दर्शित होने की स्थिति में प्रकरणवार विचार कर गुण-दोष के आधार पर निर्णय हेतु नियुक्तकर्ता अधिकारी को अधिकृत किया जाता है।
5. उपरोक्त प्रकरणों के अतिरिक्त अन्य कोई प्रकरण उद्भूत होने पर नियुक्तकर्ता अधिकारी गुण-दोष के आधार पर निर्णय कर सकेंगे।

  
(अभय वर्मा)


आयुक्त

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 19.04.2022

पृष्ठां.क्र./यू.सी.आर./सी/134/नियो./2022/ 778  
प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।

  
आयुक्त

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश